भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1404

उत्तर देने की तारीख- 28/07/2026

डीडीआरएस को निधि

1404. श्रीमती संजना जाटव:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री तापिर गाव:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री चिन्तामणि महाराज:
श्री राजेश मिश्रा:
श्री अनन्त नायक:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:
श्री भोजराज नाग:
सुश्री बाँसुरी स्वराज:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत वर्षों के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्थापित किए गए आवासीय और गैर-आवासीय विशेष विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है तथा राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पालघर जिला, सरगुजा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित इसका राज्य-वार और जिला –वार ब्यौरा क्या है;
(ख) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अन्तर्गत जारी की गई और उपयोग की गई निधि का राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पालघर जिला, सरगुजा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का सरगुजा जैसे जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा, पुनर्वास और कौशल विकास सुविधाओं का विस्तार करने के लिए किसी विशेष योजना को लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्व-अधिगम ब्रेल उपकरणों के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए संशोधित संस्थागत दिशानिर्देशों को किस सीमा तक लागू किया गया है तथा राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पालघर जिला, सरगुजा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित इसका राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश के जनजातीय बहुत क्षेत्रों में शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्थापित किए गए आवासीय और गैर-आवासीय विशेषकृत विद्यालयों की कुल संख्या का राज्य–वार और महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए कोई आवासीय अथवा गैर-आवासीय विशेष विद्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं।

(ख): दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इन सेवाओं में प्रारंभिक हस्तक्षेप, दैनिक जीवन कौशलों का विकास, शिक्षा तथा प्रशिक्षण शामिल हैं, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।

डीडीआरएस के अंतर्गत राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न **अनुबंध** में दिया गया है।

डीडीआरएस के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान पालघर, सरगुजा तथा क्योंझर जिलों के संबंध में जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:-

जिला	2023-24 (राशि रुपये में)	2024-25 (राशि रुपये में)	2025-26 (राशि रुपये में)
क्योंझर	53,00,235	18,28,446	-
सरगुजा	-	74,14,799	96,79,781
पालघर	-	-	-

(ग): वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने हाल ही में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु तकनीकी सलाहकार परिषद (टीएसी-ईआरपीवीआई) का गठन किया है। इस परिषद का उद्देश्य ब्रेल के विकास, स्व-अध्ययन हेतु ब्रेल उपकरणों, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले तथा दृष्टिबाधितों के लिए अन्य उभरती हुई सहायक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के संबंध में उपयुक्त उपायों का पता लगाना तथा उनकी अनुशंसा करना है। यह परिषद अनुसंधान, मानकीकरण तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने, सुगम्यता को बढ़ावा देने तथा शिक्षा एवं पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।

(ङ): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए कोई आवासीय अथवा गैर-आवासीय विशेष विद्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं।

अनुबंध

पिछले 3 वर्षों में डीडीआरएस के तहत जारी की गई निधियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2023-24	2024-25	2025-26
		राशि (लाख रुपये में)	राशि (लाख रुपये में)	राशि (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	2851.56	2728.45	2777.56
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	136.87	238.3	106.82
4	बिहार	68.65	61.28	77.7
5	छत्तीसगढ	0	74.15	96.79
6	दिल्ली	166.89	220.25	208.38
7	गोवा	0	0	0
8	गुजरात	95.19	120.09	24.27
9	हरियाणा	174.61	155.19	228.95
10	हिमाचल प्रदेश	84.13	103.98	69.69
11	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
12	झारखंड	0	0	0
13	कर्नाटक	73.73	94.88	45.49
14	केरल	455.2	1737.41	1517.06
15	लद्दाख	0.44	0	0
16	मध्य प्रदेश	484.55	327.12	377.17
17	महाराष्ट्र	311.19	111.29	107.82
18	मणिपुर	946.48	1162.44	825.25
19	मेघालय	87.86	202.68	112.89
20	मिजोरम	17.26	41.29	30.41
21	नागालैंड	46.83	38.28	13.37
22	ओडिशा	1382.09	1293.27	1661.93
23	पुदुचेरी	80.65	82.75	52.13
24	पंजाब	211.68	304.1	407.66
25	राजस्थान	320.06	418.05	378.24

26	सिक्किम	0	0	0
27	तमिलनाडु	312.15	267.91	211.13
28	त्रिपुरा	51.67	0	0
29	उत्तर प्रदेश	1653.52	2168	1173.24
30	उत्तराखंड	80.48	165.38	13.8
31	पश्चिम बंगाल	782.79	675.73	798.13
32	तेलंगाना	2121.26	1781.44	1629.33
33	अंडमान और निकोबार	0	0	0
34	चंडीगढ़	0	0	0
35	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	0	0	0
36	लक्षद्वीप	0	0	0
